

पालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

22/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय 390। शेष प्रतिवादी का जबाब पेश करने के लिए समझ चाल। समझ दिया गया। पत्रावली दि 28.3.2022 को पेश हो।



28/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय 390। शेष प्रतिवादी का जबाब पेश करने के लिए समझ चाल। समझ दिया गया। वास्ते जबाब पत्रावली दि 5.5.22 को पेश हो।



22/22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील 390। प्रतिवादी नं 5 की ओर से वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अर्न्तर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC पेश किया कि प्रतिवादी नं 5 की मृत्यु दिनांक 26.1.2022 को हो चुकी है वाद पत्र में मृतका के वारिसाथन पहले से ही पार्टी बना दिये गये हैं। नकल प्रतिवादी वकील को दिखाई गई। 10 साहब नांगल मांडल जन्सुनवाई में पधारें हैं वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 8.6.22 को पेश हो।

36/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय 390। वादी वकील ने आदेश 22 नियम 4 CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी वकील ने प्रतिवादी नं 5 की मृत्यु दिनांक 26.1.22 को होने की रिपोर्ट पेश की है। वाद पत्र में प्रतिवादी नं 5 वारिस वाद पत्र में पार्टी बना रखे हैं। इसलिए उक्त प्रतिवादी नं 5 के अग्रे मृतक अंतिम कर दिया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 CPC प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी नं 2 के वकील को जबाब पेश करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है। अन्यथा आगामी पेशी पर जबाब स्वीकरी जबाब बंद कर दिया जावेगा। वास्ते जबाब दिनांक 13.7.22 को पेश हो।



12

मालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

12/3 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी... पत्रावली पेश हो।
 गतानुसार दिनांक... 11.5.23 को पेश हो।

31/3 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... 11.5.23 को पेश हो।

15/5 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... 15.6.23 को पेश हो।

15/6 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... 27.7.23 को पेश हो।

27/3 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... 6.8.23 को पेश हो।

69/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादी को बार-2 कावाज दिलाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। वादी वकील के अनुपस्थित रहने से पत्रावली इसी स्तर पर अटम हाजरी - अटम पैरवी रवारील की जाती है।

अतः पत्रावली अटम हाजरी अटम पैरवी में रवारील की जाती है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फ़ैसल शुगर होकर नम्बर से कर होकर डाखिल इफ्तार हो।

(5)